

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938 No. 744] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 25 अक्तूबर, 2016

सं. 378/ फेमा/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 1005(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा सं. 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हुए माने जाएंगे।

4995 GI/2016 (1)

2. विनियम 5बी में संशोधन: विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा सं.25/आरबी-2000) की मूल विनियमावली में विनियम 5बी की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा:

<u>5बी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव</u> <u>में भाग लेने की अनुमति</u> भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसे निम्न के कारण रुपया मुद्रा जोखिम होः

- (i) कोई अनुमत चालू खाता लेनदेन या
- (ii) उसके द्वारा धारित कोई रुपया मूल्यवर्गित आस्ति या उसके द्वारा की गई कोई रुपया मूल्यवर्गित देयता, जैसाकि फेमा, 1999 के तहत अनुमत है, ऐसे जोखिम से बचाव के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमावली) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त किसी शेयर बाजार में ऐसे नियम व शर्तों के अधीन मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन कर सकता है जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में प्रतिपादित किया गया है।

[फा. सं. 1/15/ईएम/2015] टी. रबि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:- मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.िन.सं.411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 756(अ) दिनांक 28.09.2000, सा.का.नि. सं. 264(अ) दिनांक 09.04.2002, सा.का.नि. सं. 579(अ) दिनांक 19.08.2002, सा.का.नि. सं. 222(अ) दिनांक 18.03.2003, सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 09.07.2003, सा.का.नि. सं. 880(अ) दिनांक 11.11.2003, सा.का.नि. सं. 881(अ) दिनांक 11.11.2003, सा.का.नि. सं. 750(अ) दिनांक 28.12.2005, सा.का.नि. सं. 222(अ) दिनांक 19.04.2006, सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 19.04.2006, सा.का.नि. सं. 760(अ) दिनांक 07.12.2007, सा.का.नि. सं. 577(अ) दिनांक 05.08.2008, सा.का.नि. सं. 440(अ) दिनांक 23.06.2009, सा.का.नि. सं. 895(अ) दिनांक 14.12.2009, सा.का.नि. सं. 635(अ) दिनांक 27.07.2010,

सा.का.नि. सं. 608(अ) दिनांक 03.08.2012,

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 30.10.2012,

सा.का.नि. सं. 330(अ) दिनांक 23.05.2013,

सा.का.नि. सं.374(अ) दिनांक 02.06.2014 and

सा.का.नि. सं. 365(अ) दिनांक 01.06.2016.

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulatory Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th October, 2016

No. FEMA. 378/RB-2016

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 1005 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Amendment of Regulation 5B:** In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), under the principal regulations, for the existing Regulation 5B, the following shall be substituted namely:

"5B Permission to a person resident outside India to enter into exchange traded currency derivatives

A person resident outside India who is exposed to Rupee currency risk arising out of:

- (i) a permitted current account transaction or
- (ii) a Rupee denominated asset held by him or a Rupee denominated liability incurred by him, as permitted under FEMA, 1999, may transact currency derivatives contracts on a stock exchange recognised under section 4 of Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 to hedge such exposure, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time.

[F. No. 1/15/EM/2015]

T RABI SANKAR, Chief General Manager

Footnote:-

The principal regulations were published in the Official Gazette vide GSR No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide—

- G.S.R. No. 756(E) dt. 28.09.2000,
- G.S.R. No. 264(E) dt. 09.04.2002,
- G.S.R. No. 579(E) dt. 19.08.2002,
- G.S.R. No. 222(E) dt. 18.03.2003,
- G.S.R. No. 532(E) dt. 09.07.2003,
- G.S.R. No. 880(E) dt. 11.11.2003,
- G.S.R. No. 881(E) dt. 11.11.2003,
- G.S.R. No. 750(E) dt. 28.12.2005,
- G.S.R. No. 222(E) dt. 19.04.2006,
- G.S.R. No. 223(E) dt. 19.04.2006,
- G.S.R. No. 760(E) dt. 07.12.2007,
- G.S.R. No. 577(E) dt. 05.08.2008,
- G.S.R. No. 440(E) dt. 23.06.2009,
- G.S.R. No. 895(E) dt. 14.12.2009,
- G.S.R. No. 635(E) dt. 27.07.2010,
- G.S.R. No. 608(E) dt. 03.08.2012,
- G.S.R. No. 799(E) dt. 30.10.2012,
- G.S.R.No. 330(E) dated 23.05.2013,
- G.S.R.No. 374(E) dated 02.06.2014 and
- G.S.R.No. 365(E) dated 01.06.2016.